

उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या : जी-2-347/दस-2012-59/81
लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2012

**विज्ञापित
विविध**

जनरल प्राविडेंट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रूल्स 1985 के नियम 11(1), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेंट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेंट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेंट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेंट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेंट पेंशन इन्श्योरेंस फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर, सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01-4-2012 से 8.8 प्रतिशत (आठ दशमलव आठ प्रतिशत) होगी। उक्त दरें पहली अप्रैल, 2012 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू रहेंगी।

आज्ञा से,
आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त

No. G-2-347/X-2012-59-81
Dated : Lucknow : 30 October, 2012

**Notification
Miscellaneous**

In accordance with the provisions of Rule 11(1) of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules 1985, Rule 11(1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules and Rule 9 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest on deposits and also on the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (Uttar Pradesh), Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 8.8% (eight point eight percent) with effect from 01-04-2012 during the Financial Year 2012-2013, on all accounts. These rates shall be in force during the Financial Year beginning on April 01, 2012.

By order,
Anand Mishra
Principal Secretary, Finance